भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY
:दूरभाष (0542) 6702068, 2307004 (सं.कु); 6702076, 2307005 (कार्यालय);फैक्स : 91-542-2368428;ई.मेल: administration@itbhu.ac.in

कुलसचिव कार्यालय
(प्रशासन)

Office of the Registrar
(Administration)

पत्र सं. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.) / सा.प्रशा. / रा.भा.प्र. / 7(3) / राजभाषा कार्यान्वयन समिति / 199 दिनांक: 23.05.2017

1. समस्त अधिष्ठातागण
2. समस्त विभागाध्यक्ष / स्कूलों के समन्वयक
3. प्रभारी, इकाई / केन्द्र / कार्यालय
4. समस्त आचार्य प्रभारी
5. अध्यक्ष, संस्थान निर्माण समिति
6. अध्यक्ष, कैफेटेरिया
7. अध्यक्ष, संरक्षक परिषद
8. अध्यक्ष, सीनेट लाइब्रेरी समिति
9. अध्यक्ष, वेब मैनेजमेंट एंड ईमेल सर्विसेज समिति
10. मुख्य काउंसिलर (Chief Councillor), जिमखाना
11. उप मुख्य आरक्षाधिकारी
12. समन्वयक, गांधी प्रौद्योगिकी स्नातक केन्द्र
13. समस्त प्रशासनिक संरक्षक
14. समस्त संयुक्त कुलसचिव
15. उप कुलसचिव
16. समस्त सहायक कुलसचिव
17. समस्त अनुभाग अधिकारी

विषय– समस्त विज्ञापन (Advertisement) द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) में जारी करने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि राजभाषा नियम 1976, के नियम 11 के अंर्तगत मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि के प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम है:

1. *"केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।*
2. *केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।*
3. *केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।"*

इस संदर्भ में, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(उत्तरी क्षेत्र–2), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संस्थान में जारी होने वाले सभी विज्ञापन द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रजी) में जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निदेशक महोदय के आदेशानुसार, मुझे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि आप अपने विभाग / स्कूल / अनुभाग / इकाई में **उक्त नियमों का अनुपालन एवं सभी विज्ञापन अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी)** रूप *(जिसमें हिन्दी पहले एवं अंग्रेजी का भाग बाद में हो)* में ही जारी कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

गंगेश
23/05/17
सहायक कुलसचिव (प्रशासन)–प्रथम

पत्र सं. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.) / सा.प्रशा. / रा.भा.प्र. / 7(3) / राजभाषा कार्यान्वयन समिति / दिनांक: 23.05.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक के निजी सचिव
2. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक